रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 18 जुलाई, 2026 ई० (आषाढ़ 27, 1948 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

कार्यालय, नगर निगम लखनऊ

15 अप्रैल, 2026 ई0

सं0 23/A.W./M.C./2026--प्रमुख सचिव, उ.प्र. शासन, नगर विकास विभाग, अनुभाग-9, लखनऊ के आदेश संख्या-925/नौ-9-2025-ई-1853096 दिनांक 09 मई, 2025 के अंतर्गत प्रशासनिक पारदर्शिता तथा जन सामान्य हेतु व्यवस्था की सुगमता को दृष्टिगत रखते हुये नगर निगम कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन के लिये प्रक्रिया एवं शुल्क में एकरूपता स्थापित करने एवं मानक व्यवस्था निर्मित किये जाने के प्रयोजनार्थ उ.प्र. नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-213 और धारा-541 के खण्ड (42) एवं (49) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये 'नगर निगम (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) उपविधि, 2025' का प्रारूप निर्गत किया गया था।

तदानुक्रम में मा. नगर निगम लखनऊ सदन दिनांक 09.09.2025 की बैठक में 'लखनऊ नगर निगम (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन), उपविधि, 2025' का आलेख प्रस्तुत करते हुये दिनांक 04.12.2025 समाचार-पत्र 'दैनिक जागरण' व 'हिन्दुस्तान' में सूचना प्रकाशित करते हुये 15 दिवस के भीतर आपत्तियां आमंत्रित की गयी। निर्धारित

अवधि में आपत्ति प्राप्त न होने पर मा. सदन की सामान्य बैठक दिनांक 27.01.2026 के संकल्प संख्या-162 द्वारा उपविधि को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया जो निम्नवत् हैः–

उ.प्र. नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1959) की धारा–213 और धारा–541 के खण्ड (42) एवं (49) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर निगम लखनऊ के गृहकर के माँग रजिस्टर में दर्ज भवन/भूमि स्वामी की मृत्यु, पंजीकृत विक्रय नामा, वसीयत, दान-पत्र, हिब्बा तथा मा. न्यायालय के आदेश इत्यादि के फलस्वरूप उ.प्र. नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-213 (ख) के अंतर्गत कार्यवाही कर नामान्तरण किये जाने के उद्देश्य से 'नगर निगम (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) उपविधि, 2025' बनायी जाती है, तथा उ.प्र. नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-544 के अनुपालन में जनसाधारण की सूचना के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

लखनऊ नगर निगम

(निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन), उपविधि, 2025

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ 1 (1) यह उपविधि लखनऊ नगर निगम (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन), उपविधि, 2025 कही जायेगी।

(2) यह नगर निगम लखनऊ में लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषायें 2 (1) जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस उपविधि में–

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 से है।

(ख) 'आबादी' का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो खतौनी में आबादी के रूप में अभिलिखित हो और जिसका उपयोग नगर निगम सीमा में उस क्षेत्र के सम्मिलित होने के दिनांक को उसके निवासियों के आवास और तत्सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये किया जा रहा हो।

(ग) 'निर्धारण सूची' का तात्पर्य अधिनियम, 1959 की धारा– 207 के अधीन तैयार की गई कर निर्धारण सूची से है।

(घ) 'संशोधन और परिवर्तन' का तात्पर्य अधिनियम, 1959 की धारा– 213 के अधीन कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन से है।

(ङ) 'सम्पत्ति' का तात्पर्य यथास्थिति किसी भवन या भूमि या दोनों से है।

(च) 'सम्पत्ति कर' का तात्पर्य नगर निगम सीमा में अवस्थित भवनों या भूमियों या दोनों के वार्षिक मूल्य पर लगाये जाने वाले सामान्य कर/भवन कर, जल कर, जल निस्तारण कर और स्वच्छता कर से है।

(2) इस उपविधि में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये क्रमशः समनुदेशित हों।

निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन का कारण	3	(1) अधिनियम, 1959 की धारा-210 के अधीन नगर निगम कार्यालय में जमा प्रमाणीकृत कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन उक्त अधिनियम, 1959 की धारा– 213 के अधीन उल्लिखित कारकों के प्रोद्भूत होने की स्थिति में किया जा सकेगा। (2) ऐसा व्यक्ति जो निर्धारण सूची के प्रमाणीकृत होने के पश्चात् किसी कारणवश कराधान के लिये दायी हो गया है, उसका नाम सूची में सम्मिलित करके निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन किया जायेगा। (3) (क) किसी सम्पत्ति के स्वामित्व के हस्तान्तरण या स्वामित्व सामान्यतया निम्न के आधार पर प्राप्त होगा– (एक) पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा। (दो) पंजीकृत वसीयत द्वारा। (तीन) पंजीकृत विभाजन विलेख द्वारा। (चार) पंजीकृत दान–पत्र द्वारा। (पाँच) विधिक उत्तराधिकार द्वारा। (ख) किसी सम्पत्ति के अध्यासी के स्थान पर किसी व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि की स्थिति सामान्यतया इस प्रकार हो सकेगी– (एक) नगर निगम सीमा में सम्मिलित ग्रामों की आबादी क्षेत्र में स्थित सम्पत्ति। (दो) गैर जमींदारी उन्मूलन (नान जेड0ए0) क्षेत्र की सम्पत्ति। (4) (क) सम्पत्ति के त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन, वार्षिक मूल्य और कर की दर में वृद्धि/परिवर्तन होने से कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन किया जा सकेगा। (ख) किसी भी समय जब यह स्पष्ट हो जाये कि किसी सम्पत्ति का मूल्यांकन और कर निर्धारण सम्पत्ति के स्वामी/अध्यासी द्वारा गलत विवरण देने के आधार पर, या तथ्यों के छिपाने या भ्रान्त कथन या किसी भूल के कारण किया गया है तो उसमें किये गये सुधार की प्रविष्टि कर तदनुसार कर निर्धारण सूची संशोधित की जा सकेगी। (5) भवन में किये गये परिवर्तन और परिवर्धन के फलस्वरूप उसके वार्षिक मूल्यांकन और कर की धनराशि में वृद्धि करके निर्धारण सूची में संशोधन किया जा सकेगा।

सूची में संशोधन और परिवर्तन की प्रक्रिया

4 (1) (क) नियम 3 के अधीन निर्धारण सूची में व्यक्ति या सम्पत्ति का विवरण छूट जाने, नवनिर्माण या पुनर्निर्माण होने पर हितबद्ध पक्ष निर्धारित प्रपत्र के साथ सम्पत्ति का स्वः कर निर्धारण कर के सम्पत्ति कर की धनराशि नगर निगम द्वारा यथा निर्दिष्ट बैंक या कार्यालय में जमा कर सकेगा। नगर निगम के नगर आयुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी इसकी जांच कराकर सत्यापन पश्चात् निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा स्वः कर निर्धारण प्रपत्र के आधार पर अपेक्षित प्रविष्टियाँ निर्धारण सूची में की जायेगी।

(ख) अन्यथा स्थिति में सम्पत्ति का स्वामी या अध्यासी विहित प्रपत्र–1 में अपेक्षित सूचना निर्माण या पुनर्निर्माण के समापन अथवा अध्यासन के दिनांक जो भी पहले हो, के 60 दिवसों के भीतर नगर आयुक्त को अनिवार्य रूप से देगा। नगर आयुक्त या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी तदुपरान्त नियमानुसार सम्पत्ति का मूल्यांकन और कर निर्धारण कर उसे तदनुसार कर निर्धारण सूची में प्रविष्टि करेगा।

(2) (क) सम्पत्ति के स्वामित्व/धारणाधिकार के वैध हस्तान्तरण के फलस्वरूप कर निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन के निमित्त आवेदक नगर निगम की वेब साइट पर प्रपत्र–2 में अपना प्रोफाइल बनाकर आनलाइन आवेदन करेगा।

(ख) आवेदक नगर निगम द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क, जो रू. 100.00 प्रति आवेदन से अधिक न होगा, को ऑनलाइन भुगतान करेगा और यथास्थिति निम्नलिखित अभिलेखों को अपलोड करेगा–

क्र सं	अभिलेखों का प्रकार	मृत्यु के आधार पर	विक्रय पत्र, विभाजन विलेख व दान-पत्र के आधार पर	पंजीकृत वसीयत के आधार पर
1	आवेदक की फोटो (जे0पी0जी0 प्रारूप में)	✓	✓	✓
2	आवेदक की पहचान का प्रमाण (जे0पी0जी0 प्रारूप में)	✓	✓	✓
3	आवेदक का शपथ–पत्र (पी0डी0एफ0 प्रारूप में)	✓	✓	✓

4	पंजीकृत विक्रय–विलेख या दान-पत्र/विभाजन विलेख (पी0डी0एफ0 प्रारूप में)	–	✓	–
5	उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र (पी0डी0एफ0 प्रारूप में)	✓	–	–
6	मृत्यु प्रमाण–पत्र (जी0आई0एफ0, पी0एन0जी0, जे0पी0जी0, जे0पी0ई0जी0, पी0डी0एफ0 प्रारूप में)	✓	–	✓
7	रजिस्ट्रीकृत वसीयत (जी0आई0एफ0, पी0एन0जी0, जे0पी0जी0, जे0पी0ई0जी0, पी0डी0एफ0 प्रारूप में)	–	–	✓
8	मूल पट्टा विलेख की प्रतिलिपि	✓	✓	–
9	पूर्व में जारी नामान्तरण–पत्र की प्रतिलिपि, यदि कोई हो	✓	✓	✓

(ग) आवेदन कारण प्रोद्भूत होने के अधिकतम तीन माह के भीतर प्रस्तुत किया जा सकेगा। इस अवधि के पश्चात् रू. 200.00 प्रतिमाह बिलम्ब शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

(घ) नगर आयुक्त या उसके द्वारा एतद्र्थ प्राधिकृत अधिकारी नियम–6 के अनुसार प्रभार की धनराशि की गणना करेगा और आवेदन करने की तिथि से पाँच कार्य दिवसों के अन्दर आवेदक को तत्सम्बन्ध में आनलाइन भुगतान हेतु संसूचित करेगा। इसके साथ ही उस सम्पत्ति पर अवशेष सभी देयों के भुगतान हेतु भी सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा तदनुसार पूर्ण धनराशि आगामी अधिकतम सात दिवसों में भुगतान की जायेगी। निर्धारित अवधि में भुगतान प्राप्त हो जाने पर प्रस्तावित परिवर्तन या संशोधन के सम्बन्ध में प्रारूप–3 पर

इस आशय की कम से कम एक महीने की नोटिस सम्पत्ति से स्वत्व रखने वाले सभी सम्बन्धित हितबद्ध व्यक्तियों को जारी की जायेगी और उसकी एक प्रति आवेदक को भी दी जायेगी। नोटिस प्राप्ति का साक्ष्य अनुरक्षित रखा जायेगा।

(ङ) खण्ड (घ) के अधीन जारी नोटिसों की सभी पक्षों को सम्यक् और सन्तोषजनक तामीली न होने की स्थिति में उक्त नोटिस उस नगर निगम क्षेत्र में परिचालन वाले कम से कम दो दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराई जायेगी। समाचार–पत्र में नोटिस के प्रकाशन का शुल्क उसके वास्तविक व्यय के अनुसार आवेदक द्वारा भुगतान किया जायेगा। वैकल्पिक रूप में आवेदक उसे नगर निगम द्वारा इस निमित्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने निजी लागत पर नगर निगम क्षेत्र में परिचालन वाले दो दैनिक समाचार-पत्रों में उक्त नोटिस सीधे प्रकाशित करा सकता है।

(च) खण्ड (घ) के अधीन संसूचित धनराशि का भुगतान नियत अवधि में न किये जाने पर एक अन्य अवसर प्रदान करते हुये पुनः एक सप्ताह का समय दिया जायेगा। इस अवधि में भी प्रभार की धनराशि न जमा करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

(छ) खण्ड (घ) और खण्ड (ङ) के अन्तर्गत जारी नोटिस में अंकित अवधि व्यतीत होने के पश्चात् कोई उत्तर या आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में नगर आयुक्त अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभिलेखों के नियम सम्मत पाये जाने पर तदनुसार आदेश पारित करते हुये निर्धारण सूची में यथास्थिति संशोधन या परिवर्तन कर दिया जायेगा और सूची प्रमाणीकरण के लिये प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षरों से उसे प्रमाणीकृत किया जायेगा।

(ज) खण्ड (घ) और खण्ड (ङ) के अधीन जारी नोटिस में नियत अवधि के भीतर उत्तर या आपत्ति प्राप्त होने की दशा में नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी संक्षिप्त जाँच और सम्बन्धित पक्षों/ आपत्तिकर्ताओं या हितबद्ध व्यक्तियों को सम्यक् सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् उपलब्ध अभिलेखीय सामग्री और गुण–दोष के आधार पर उनका निस्तारण करेगा और समुचित आदेश पारित करते हुये अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा। किसी प्रकार के स्वत्वाधिकार से सम्बन्धित विवादित प्रकरण पर सक्षम न्यायालय का निर्णय अपेक्षित होगा।

(झ) निर्धारण सूची में संशोधन/परिवर्तन सम्बन्धी प्रभारों सहित अन्य समस्त देयों के भुगतान प्राप्त होने के दिनांक से अधिकतम 45 कार्य दिवसों की अवधि में अविवादित प्रकरणों सम्बन्धी आवेदन का आनलाइन निस्तारण किया जायेगा।

(3) इस उपविधि में समस्त प्राविधानों के होते हुये भी निस्तारण हेतु उत्तरदायी नगर आयुक्त या नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, यदि आवश्यक समझता है तो हितबद्ध पक्ष से 4(2) में उल्लिखित अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य साक्ष्य/अभिलेख जो निस्तारण हेतु आवश्यक हो मांगा जा सकता है और हितबद्ध पक्ष द्वारा उक्त साक्ष्य/अभिलेख उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

(4) निर्धारण सूची के संशोधन अथवा परिवर्तन का प्रयोजन मात्र भवन, भूमि या दोनों के सम्पत्ति कर की वसूली के दृष्टिगत होगा।

हस्तान्तरण की नोटिस दिया जाना हस्तान्तरणकर्ता और हस्तान्तरिती की बाध्यता

5 (1) जब किसी सम्पत्ति के सम्पत्ति कर के भुगतान के लिये प्रथमतः दायी किसी व्यक्ति का स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित होता है तो वह व्यक्ति जिसका स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित हुआ है और वह व्यक्ति जिसे वह हस्तान्तरित किया गया है, हस्तान्तरण विलेख के निष्पादित होने के तीन माह के भीतर ऐसे हस्तान्तरण की सूचना नगर आयुक्त को देंगे।

(2) पूर्वोक्तानुसार प्रथमतः दायी किसी व्यक्ति की मृत्यु की दशा में वह व्यक्ति जिसे उत्तराधिकारी के रूप में या अन्यथा मृतक का स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित हुआ है, नगर आयुक्त को मृतक की मृत्यु के छः माह के भीतर ऐसे हस्तान्तरण की सूचना देगा।

(3) ज्यों ही नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को उक्त सूचना के माध्यम से ऐसा हस्तान्तरण संज्ञान में आये, इस उपविधि के प्रावधानों के अनुसार अन्तरिती का नाम निर्धारण सूची में प्रविष्ट कर दिया जायेगा।

(4) प्रत्येक व्यक्ति जो नगर आयुक्त को इस प्रकार की सूचना दिये बिना पूर्वोक्तवत् हस्तान्तरण करता है, ऐसी उपेक्षा से उद्भूत अन्य देयता के सहित हस्तान्तरित सम्पत्ति पर निर्धारित सम्पत्ति कर के भुगतान का दायित्व निरन्तर बना रहेगा जब तक कि वह इस सम्बन्ध में सूचना/आवेदन नहीं देता अथवा जब तक कि ऐसा हस्तान्तरण निर्धारण सूची में अभिलिखित नहीं किया जाता।

(5) जब ऐसी सूचना/आवेदन नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किया गया हो तो नगर निगम द्वारा नियत विलम्ब शुल्क के साथ इसे प्रस्तुत किया जा सकता है।

(6) यदि कोई भवन गिरा दिया गया हो या ध्वस्त हो गया हो तो जब तक नगर आयुक्त को इसकी नोटिस न दे दी गई हो, तब तक स्वामी/अध्यासी सम्पत्ति कर के भुगतान का दायी होगा जैसा कि वह भवन गिराए जाने या ध्वस्त न किये जाने की स्थिति में दायी था।

निर्धारण सूची के संशोधन/परिवर्तन हेतु प्रभारों का लगाया जाना

6 (1) जहाँ कर निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन हेतु आवेदन नगर निगम को प्रस्तुत किया जाय वहाँ आवेदक से प्रभार इस उपविधि के अनुसार उद्गृहीत किया जायेगा। प्रभारों की अधिकतम दरें निम्नवत् होंगी–

(क) किसी विधिक उत्तराधिकारी, रक्त सम्बन्ध, पारिवारिक समझौते, बंटवारा या रजिस्ट्रीकृत वसीयत के मामले में प्रभार की दरे निम्नवत् होगी :–

क्र.सं.	सम्पत्ति का क्षेत्रफल (वर्गफुट में)	प्रभार की धनराशि (रूपये में)
1	1,000 तक	1,000/–
2	1001–2,000 तक	2,000/–
3	2001–3,000 तक	3,000/–
4	3,000 से अधिक	5,000/–

(ख) नियम–3 के उपनियम (3) के अधीन अन्य सभी मामलों में प्रभारों की दर जिलाधिकारी द्वारा नियत सर्किल रेट या पंजीकरण विलेख में अंकित धनराशि, जो भी अधिक हो, के आधार पर निम्नवत् होगी–

सम्पत्ति का मूल्य	प्रभार की धनराशि (रूपये में)
रू. 5.00 लाख तक	3,500/–
रू. 5.00 लाख से रू. 10.00 लाख तक	5,500/–
रू. 10.00 लाख से रू. 20.00 लाख तक	7,500/–
रू. 20.00 लाख से रू. 30.00 लाख तक	9,500/–
रू. 30.00 लाख से ऊपर	10,000/–

(2) उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन एक से अधिक मध्यवर्ती संशोधन और परिवर्तन की स्थिति में प्रत्येक संशोधन और परिवर्तन पर उसमें विनिर्दिष्ट धनराशि के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार देय होगा।

(3) यदि उपनियम (1) के खण्ड (ख) के मामलों में एक या एक से अधिक मध्यवर्ती विक्रय या अन्य अन्तरण हों और सम्बन्धित सम्पत्ति मध्यवर्ती क्रेताओं या अन्तरिती के नाम से निर्धारण सूची में अन्तरित न की गई हो तो प्रत्येक मध्यवर्ती विक्रय विलेख/अन्तरण पर इस उपविधि के अनुसार उपनियम–(1) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट धनराशि के 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार उद्गृहीत किया जायेगा।

(4) यदि उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में नगर निगम से सम्बन्धित कोई धनराशि देय है तो उसका भुगतान निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन हेतु देय प्रभारों के साथ किया जायेगा।

आदेश का संशोधन या निरस्तीकरण

7 जहाँ नगर आयुक्त स्वतः या अन्यथा, ऐसी जाँच जैसा वह उचित समझे, से सन्तुष्ट है कि सूची में संशोधन या परिवर्तन छल, सारवान तथ्यों के दुर्व्यपदेशन करके अथवा तथ्यों को छिपाकर अथवा मिथ्या, अशुद्ध और अपूर्ण अभिलेखों के आधार पर किया गया है तो वह सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए पुनः सुनवाई कर सकता है और लिखित रूप में कारणों को अभिलिखित करते हुए संशोधन या परिवर्तन निरस्त कर सकता है, उसे संशोधित कर सकता है अथवा परिवर्तित कर सकता है।

अपील

8 नगर आयुक्त या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उस दिनांक जिस दिनांक को उसे विनिश्चय संसूचित किया गया है, से तीस दिन के भीतर उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-472 के अधीन अपील कर सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
नगर आयुक्त,
नगर निगम, लखनऊ।

कार्यालय, नगर पंचायत, पाकबड़ा, मुरादाबाद

25 जून, 2025 ई0

सं0 194/न0पं0पा0/2025-26—कार्यालय नगर पंचायत पाकबडा के पत्र सं0-06/न0पं0पा0/2025-26-उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत पाकबडा द्वारा विविध कर (शुल्क) नियमावली, 2025 उपविधि नगर पंचायत, पाकबड़ा जनपद-मुरादाबाद द्वारा नगर पंचायत सीमा के अन्तर्गत विविध कर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2025 प्रस्तावित करते हुये उपरोक्त नियमावली धारा 301 के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात् उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति/समूह को आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत के कार्यालय में प्रकाशन तिथि के 15 दिवस के अन्दर प्राप्त करा सकता है। तत्क्रम में नगर पंचायत पाकबडा द्वारा बोर्ड बैठक दिनांक 28 मई, 2025 प्रस्ताव संख्या-30 के प्रस्तर संख्या-03 द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया, तत्क्रम में दैनिक समाचार-पत्र दैनिक ''आज'' में दिनांक 01 जून, 2025 एवं दैनिक शाह ''टाइम्स'' 01 जून, 2025 को प्रकाशित कराकर 15 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमांत्रित किया गया। निर्धारित समयावधि 15 दिवस के अन्दर कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नही हुआ। बोर्ड बैठक दिनांक 28 मई, 2025 प्रस्ताव संख्या-30 के प्रस्तर संख्या-03 के द्वारा उपरोक्त उपविधि को उसी रूप में सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी है। निम्नवत् उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।